

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III)ब<sup>3</sup> -14/2016-

/पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य

नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी (नालन्दा)/वी.पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा/सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट "मुख्य शीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 112- इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष -0101- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" विपत्र कोड 43-2203001120101 के अधीन अतिरिक्त आवंटन। महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-578, दिनांक 01.03.2018 के द्वारा राज्य स्कीम अन्तर्गत स्थापित विभागान्तर्गत नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, वी. पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी के संचालन हेतु वेतन एवं भत्ते सहित अन्य मदों में कुल रु. 78,31,000=00 (अठहतर लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटनादेश संख्या-8(आ), दिनांक 26.05.2017, संख्या-22(आ), दिनांक 19.07.2017, संख्या-23(आ), दिनांक 19.07.2017 एवं संख्या-24(आ), दिनांक 19.07.2017 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षों में प्रावधानित राशि से विभागान्तर्गत नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, वी.पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी को कुल रु. 78,31,000=00 (अठहतर लाख इकतीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

विषयशीर्ष	नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजी. चण्डी	वी.पी. मंडल अभि. महावि., मधेपुरा	सीतामढ़ी इंस्टी. ऑफ टेक., सीतामढ़ी	आवंटित कुल राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
01 03 जीवन यापन भत्ता	300000	334000	600000	1234000
01 04 मकान किराया भत्ता	100000	145000	200000	445000
<b>योग-- वेतन</b>	<b>400000</b>	<b>479000</b>	<b>800000</b>	<b>1679000</b>
13 04 विद्युत प्रभार	1000000	0	0	1000000
14 01 किराया, महसूल एवं कर	500000	0	0	500000
28 02 सविदा सेवाएं	2452000	700000	1500000	4652000
<b>कुल योग</b>	<b>4352000</b>	<b>1179000</b>	<b>2300000</b>	<b>7831000</b>

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(क) तेतालीस लाख बावन हजार रुपये मात्र।

(ख) ग्यारह लाख उनासी हजार रुपये मात्र।

(ग) तेईस लाख रुपये मात्र।

(घ) अठहतर लाख इकतीस हजार रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा- निदेशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।
4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषय शीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
5. रवीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।
6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब<sup>3</sup> -14/2016-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

निदेशक

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III)ब<sup>3</sup> -14/2016-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, हिलसा, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

निदेशक

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब<sup>3</sup> -14/2016-

9/10/18 /पटना, दिनांक 9.3.2018

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो.)/ योजना सहायक/आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संघारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/18

निदेशक

8/13

पु. उ. शर्मा